न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 03/2018 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

व्यवस्थापक, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा व्यवस्थापक उचित मूल्य दुकानदार, लिखमा का बास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर जरिये व्यवस्थापक मदन लाल कुमावत पुत्र मंगलाराम, जाति कुमावत, निवासी लिखमा का बास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश कुमावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, दांतारामगढ़ रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12.12.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30 जुलाई, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अपीलान्ट के पक्ष में जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा उचित मूल्य की दुकान ग्राम लिखमा का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के लिए डीलरशिप के प्राधिकार पत्र जारी किया गया है तथा दिनांक 12.12.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को कोई अवलोकन न कर सरसरी दृष्टि से ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने अपना स्पष्टीकरण मय प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं करके उसको गोलमाल जवाब करार दे दिया।

(2) अपीलान्ट को राशन वितरण हेतु पोस मशीन दी गई थी, जिसमें किसी भी खराबी के लिए अपीलान्ट को गलत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है तथा रसद विभाग स्वयं ही मानता कि उक्त पोस मशीन से राशन वितरण किये जाने पर किसी

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई सम्भावना नहीं है। इस उद्देश्य से पोस मशीन से राशन वितरण किये जाने का निर्णय किया गया था।

(3) अपीलान्ट पर मुख्य आरोप लगाया गया है कि उसने 98 राशन कार्डों में ऑनलाईन राशन वितरण दर्शाया गया है जबकि मूल राशन कार्डों में राशन वितरण का इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार डीलर ने गलत रूप से राशन वितरण न करके गबन किया है। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था तथा यह अंकित किया था कि राशन वितरण प्रणाली पोस मशीन से होती है, जिसमें परिवार के सदस्य को ही उपस्थित होने पर राशन वितरण किया जाता है। कुछ उपभोक्ता मौके पर राशन कार्ड नहीं लाने के कारण घर पर फोन करके राशन कार्ड नम्बर प्राप्त करते हैं फिर उस राशन कार्ड नम्बर के आधार पर राशन वितरण प्रक्रिया होती है, जिसमें डीलर द्वारा गड़बड़ किये जाने की कोई सम्भावना नहीं होती है।

(4) अपीलान्ट पर एक आरोप राशन कार्ड संख्या 008185100108 में दो यूनिट की मृत्यु होने के बाद भी राशन वितरण होना तथा इसका इन्द्राज राशन कार्ड में दर्ज हो जाने को अविधिक तथ्य मानकर अपीलान्ट पर राशन सामग्री की कालाबाजारी करके गबन करने का अरोप लगाया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने दिनांक 17.10.2017 को अपना स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। उक्त राशन कार्ड के मुखिया की मृत्यु होने की अपीलान्ट के कोई सूचना नहीं थी। राशन कार्ड के मुखिया का पुत्र रमेश कुमार राशन सामग्री लेने हेतु उपस्थित हुआ था और उसने अपना अगुंठा व आधार संख्या लगाकर पोस मशीन से राशन प्राप्त किया था, जिसके लिए अपीलान्ट जिम्मेदार नहीं है।

(5) अधीनस्थ न्यायलय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2017 पारित करने से पूर्व इस बात पर कतई ध्यान नहीं किया कि अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिये जाने के पश्चात अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र गलत रूप से निरस्त किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकरी सीकर के आदेश दिनांक **12.12.2017** को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से इन्द्रपाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षक दांतारामगढ़ उपस्थित आये।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राशन वितरण प्रणाली पोस मशीन से होती है, जिसमें परिवार के सदस्य को ही उपस्थित होने पर राशन वितरण किया जाता है। कुछ उपभोक्ता मौके पर राशन कार्ड नहीं लाने के कारण घर पर फोन करके राशन कार्ड नम्बर प्राप्त करते हैं फिर उस राशन कार्ड नम्बर के आधार पर राशन वितरण प्रकिया होती है, जिसमें डीलर द्वारा गड़बड़ किये जाने की कोई सम्भावना नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को कोई अवलोकन न कर सरसरी दृष्टि से ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक 12.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक दांतामगढ़ ने उपस्थित होकर अभिकथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा फर्जी वितरण दिखाकर गेहूं एवं केरोसीन का दुरूपयोग किया गया है। 98 राशनकार्डों तथा राशनकार्ड संख्या 008185100108 पर जिनकी मौके पर जांच की गई उनको गेहूं एवं केरोसीन ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के अनुसार नहीं दिये गये, जिनकी मात्रा 52.65 क्विं. गेहूं, 22 किग्रा. चीनी एवं 929.50 लीटर केरोसीन है। डीलर द्वारा राशनकार्डधारकों को उचित मूल्य सामग्री का वितरण नहीं कर पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित किया है तथा उपभोक्ताओं की उचित मूल्य सामग्री की कालाबाजारी की है। अपीलान्ट के खिलाफ थाना खाटुश्यामजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो जैर कार्यवाही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावे।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :–

(1) प्रवर्तन निरीक्षक दांतामगढ़ द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2017 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा 98 राशनकार्डों तथा राशनकार्ड संख्या 008185100108 पर जिनकी मौके पर जांच की गई उनको गेहूं एवं केरोसीन ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के अनुसार नहीं दिये गये, जिनकी मात्रा 52.65 क्विं. गेहूं, 22 किग्रा. चीनी एवं 929.50 लीटर केरोसीन है। उक्त मौका रिपोर्ट में गबन की गई मात्रा, उपभोक्ताओं के बयान, दो मृत्यु प्रमाण पत्र तथा हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा साथ ही राशनकार्डों की प्रतियां संलग्न हैं, जिनमें गबन होना पाया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 19.09.2017 से कारण बताओं नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.10.2019 से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलान्ट ने 98 राशनकार्डों में राशन सामग्री वितरण का इन्द्राज नहीं होना स्वीकर किया है तथा पोस मशीन से सम्बन्धित स्पष्टीकरण का भी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 29.08.2017 को थाना खाटुश्यामजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो जैर कार्यवाही है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

7. उपरोक्त पैरा संख्या 6 तथा मूल मौका रिपोर्ट, बयान उपभोक्ता, फर्जी वितरण का सूचीबद्व विवरण तथा आनलाईन वितरण रिकॉर्ड की फोटो प्रति के विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गेहूं तथा केरोसीन तेल का दुरूपयोग करना पाया गया है। अतः उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांकः 30 **जुलाई, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner